प्रेस प्रकाशनी*

अप्रैल 2011

श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर दण्ड लगाया गया

1 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री लोद्रा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लोद्रा, जिला गांधीनगर पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदण्डों के कार्यान्वयन तथा वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) प्रस्तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया

4 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुलेमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, जिला वड़ोदरा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी विशेष परिचालनात्मक अनुदेशों, अंतर-बैंक जमा सीमा, निरीक्षण अनुपालन तथा काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्डों का अनुपालन न करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

माधेश्वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

4 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माधेश्वरी अर्बन डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, माधा, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों का निम्न प्रकार उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है:

(क) 1.00 लाख रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती अग्रिम (वेतन ऋण) स्वीकृति किये गये ।

(ख) इसके कुल गैर-जमानती अग्रिम इसकी निवल माँग और मीयादी देयताओं के 15.0 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक थे ।

(ग) विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना मर्यादित को गैर-जमानती अग्रिम स्वीकृत किए जाने जिसके अध्यक्ष और बैंक के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की उप-समिति की बैठक हुई

4 मार्च 2011

वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) की पहली बैठक आज भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली में आयोजित की गई। डॉ. डी.

* मार्च 2011 के दौरान जारी की गयी महत्त्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनी

सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस उप-समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची इस प्रकार है:

भारतीय रिज़र्व बैंक: डॉ. डी. सुब्बाराव, गवर्नर, श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, उप गवर्नर, डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर,श्री वी.एस.दास, कार्यपालक निदेशक।

भारत सरकार: श्रीमती सुषमा नाथ, वित्त सचिव और सचिव (व्यय), श्री आर.गोपालन, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), श्री शशिकांत शर्मा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, डॉ. कौशिक बसु, मुख्य आर्थिक परामर्शदाता, श्री बिमल जुल्का, अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक (मुद्रा निदेशालय), थॉमस मैथ्यू, संयुक्त सचिव (पूँजी बाज़ार), डीईए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी): श्री यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकार (आइआरडीए): श्री. जे. हरि नारायण, अध्यक्ष।

भविष्य निधि विनियामक और विकास प्राधिकार (पीएफआरडीए): श्री योगेश अग्रवाल, अध्यक्ष।

वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की उप-समिति का गठन वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की सहायता के लिए किया गया है। यह उप-समिति वित्तीय बाज़ारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति के बदले गठित की गयी है।

इस उप-समिति ने समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाज़ारों में गतिविधियों की समीक्षा की तथा निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर चर्चा की:

- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआइएफआइ) के लिए नीतियों के संबंध में वैश्विक गतिविधियाँ और भारत में वित्तीय संस्थाओं पर उनके संभावित प्रभाव;
- वित्तीय संघों के पर्यवेक्षणों के लिए विद्यमान व्यवस्था;
- प्रणालीगत जोखिम आकलन के लिए विनियामकों के बीच सूचना सहभागिता व्यवस्था;
- बैंकों द्वारा शुरू किए गये संपत्ति प्रबंध/निजी बैंकिंग से संबंधित विनियामक मुद्दे; और
- वित्तीय स्थिरता मुद्दे जो उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष प्रासंगिक हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र से संबंधित मामलों की जाँच के लिए कार्यदल का गठन किया

7 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) क्षेत्र के विनियमन से संबंधित उभरते हुए विभिन्न श्रेणी के मामलों की जाँच के लिए श्रीमती उषा थोरात, निदेशक, उन्नत वित्तीय अनुसंधान और ज्ञान केंद्र (सीएएफआरएल) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया।

भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ है और इसे वित्तीय प्रणाली के एक प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण तत्व के रूप में मान्यता मिली है। हाल के वैश्विक संकट ने भी गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विनियामक अनिवार्यताओं और विनियामक अंतरालों से उत्पन्न जोखिमों, अधिनिर्णय और प्रणालीगत अंतर-सहबद्धता पर प्रकाश डाला है। अतः यह जरूरत महसूस की गयी कि उन व्यापक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाए जो इस क्षेत्र की आर्थिक भूमिका और विविधता तथा हाल के अंतरराष्ट्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो के लिए विनियामक संरचना को मज़बूत बनाते हैं।

श्री संजय लाबू, निदेशक, केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री राजीव लाल, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मूलभूत सुविधा विकास वित्त निगम, श्री भरत दोशी, कार्यपालक निदेशक तथा समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा और श्री प्रतीप कार, निदेशक, ग्लोब्सीन बिज़नेस स्कूल, कोलकाता इस कार्यदल के अन्य सदस्य हैं। सुश्री उमा सुब्रमणियम, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग इसकी सदस्य सचिव होंगी।

इस क्षेत्र के विनियमन से संबंधित उभरते हुए मामलों की व्यापकता की जाँच करते समय यह कार्यदल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिभाषा और वर्गीकरण, विनियामक अंतरालों और विनियामक अधिनिर्णय का समाधान, इस क्षेत्र में अभिशासन के मानक बनाये रखने तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर्यवेक्षण के प्रति समुचित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस जाँच की व्यापकता वर्तमान विधायी ढाँचे के अंतर्गत रहेगी।

दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

8 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिदेशों का उल्लंघन के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

बैंक ने पिछले वर्ष में बैंक के प्रकाशित लाभ की 1 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक राशि दान करके भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन किया है। बैंक ने उक्त अनुदेश का उल्लंघन 1 अगस्त 2005 और 27 जुलाई 2009 के बीच पाँच अवसरों पर किया है और दान की प्रतिशतता पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के 13.40 प्रतिशत और 18.20 प्रतिशत की सीमा में रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण सेवाएं परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, अमरीका को प्राधिकरण जारी करना अस्वीकार किया

11 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमापार आवक मुद्रा अंतरण सेवाओं के लिए भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए ज़ोहा इंक, 291 - ग्रोव स्ट्रीट, जर्सी सीटी, न्यू जर्सी, 07302, अमरीका का प्राधिकरण आवेदन अस्वीकार किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ज़ोहा इंक, अमरीका को भारत में सीमापार मुद्रा अंतरण की अपनी वर्तमान सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा है।

रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 की उप धारा 3 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़ोहा इंक का प्राधिकरण आवेदन अस्वीकार किया है।

दि जय भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर दण्ड लगाया गया

14 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि जय भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर निदेशकों से संबंधित ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्यदल की रिपोर्ट जारी की*

15 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया पर कार्यदल (अध्यक्ष श्री दीपक मोहंती) की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट पर अभिमत मार्च 2011 के अंत तक प्रभारी परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 को इ-मेल किए जा सकते हैं अथवा भेजे जा सकते हैं।

मौद्रिक नीति की तिमाही के मध्य में समीक्षा: मार्च 2011

17 मार्च 2011

मौद्रिक उपाय

वर्तमान समष्टि आर्थिक आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.75 प्रतिशत किया जाए; और

* यह रिपोर्ट आरबीआइ बुलेटिन के इस अप्रैल माह के संपूरक के रूप में प्रकाशित की गयी है।

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार बिंदुओं की वृद्धि करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत किया जाए।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक परिदृश्य एक मिलीजुली छवि प्रस्तुत करता है जबकि उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में वृद्धि मज़बूत बनी हुई है जिसमें अमरीकी और यूरो क्षेत्र स्पष्ट रूप से गति पकड़ रहे हैं। तथापि, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में उथल-पुथल के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में तेज़ वृद्धि वैश्विक सुधार की गति में अनिश्चितता ला रही है। इसके अतिरिक्त पहले से ही उच्चतर खाद्य और अन्य वस्तुओं की कीमतों के शीर्ष पर आने से तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी ने मुद्रास्फीति चिंताएं उत्पन्न की हैं।

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीतिकारी दबाव पहले ही अधिक हैं क्योंकि उत्पादन अंतराल संकीर्ण हो गये हैं, जबकि हेडलाईन मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से कई उन्नत देशों विशेषतः यूरो क्षेत्र और यूके में बढ़ी हुई है। इसके परिणामस्वरूप कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने मौद्रिक कड़ाई शुरू की है जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक सहायतावाले मौद्रिक रूझान से हटने पर चर्चा मुख्य हो गयी है।

जापान में प्राकृतिक आपदा के समष्टि-आर्थिक परिणामों का अभी आकलन करना जल्दबाजी होगी। जैसेही सामान्य स्थिति वापस आती है, पुनर्निर्माण पर व्यय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन उपलब्ध करा सकता है। तथापि, जापान में नाभिकीय ऊर्जा के लिए ताप का प्रतिस्थापन पेट्रोलियम कीमतों पर दबाव डाल सकता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वृद्धि

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के हाल में जारी वर्ष 2010-11 के लिए 8.6 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वद्धि का आकलन रिज़र्व बैंक की तीसरी तिमाही समीक्षा में घोषित अनुमान के अनुरूप है। रबी फसल के अंतर्गत बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक है जो कृषि उत्पादन का अच्छा संकेत देता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के अस्थिर रहने पर भी अन्य संकेतक जैसेकि अद्यतन क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआइ), प्रत्यक्ष और परोक्ष कर संग्रह, व्यापारिक माल निर्यात और बैंक ऋण यह प्रस्तावित करते हैं कि वृद्धि की गति बनी रहेगी। सेवा क्षेत्र के अग्रणी संकेतक भी सक्रियता के साथ मज़बूत बने रहेंगे तथापि ऊर्जा और पण्य वस्तु कीमतों के बारे में जारी अनिश्चितता वर्तमान वृद्धि-पथ का एक खतरा बनते हुए निवेश वातावरण को बिगाड़ सकती है। विशेषकर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में पूँजीगत वस्तुओं के कमज़ोर कार्यनिष्पादन यह प्रस्तावित करते हैं कि निवेश की गति धीमी हो सकती है।

मुद्रास्फीति

जनवरी में हल्की नरमी के बाद हेडलाईन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद मुद्रासफीति में तेज़ बढ़ोतरी के साथ फरवरी 2011में प्रत्यावर्तित हो गई।

जैसी आशा थी, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में जनवरी 2011 से उल्लेखनीय रूप से गिरावट आयी है। तथापि 'दूध और अंण्डे, माँस और मछली' जैसे प्रोटीन स्रोतों की कीमतें संरचनात्मक माँग आपूर्ति असंतुलनों को दर्शाते हुए उच्चतर बनी रही। मध्यावधि में कृषि आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 2011-12 के बजट में निहित कई उपाय इन असंतुलनों का समाधान करने में सहायता करेंगे। ईंधन की कीमतें और बढ़ोतरी की संभावना के साथ वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाते हुए उच्चतर बनी रहीं। उल्लेखनीय रूप से माँग पक्ष दबाव के एक संकेतक के रूप में गैर-खाद्य विनिर्मित मुद्रास्फीति जनवरी के 4.8 प्रतिशत से तेज़ी से बढ़कर फरवरी में 6.1 प्रतिशत हो गयी और अपनी मध्यावधि प्रवृत्ति से लगातार ऊपर कायम रही। यह संकेत देते हुए कि उत्पादक उच्चतर इनपुट कीमतें उपभोक्ताओं पर अंतरित करने में समर्थ हैं, यह तेजी सभी विनिर्माण गतिविधियों तक फैल गई।

तीसरी तिमाही की समीक्षा में रिज़र्व बैंक ने मार्च 2011 के लिए वर्ष-दर-वर्ष थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के लिए 7 प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तथापि, कच्चे तेल की ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमतों, मुक्त रूप से मूल्यांकित पेट्रोलियम उत्पादों, कोयले की नियंत्रित कीमतों में वृद्धि और गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद कीमतों में हुई वृद्धि से मुद्रास्फीति के और बढ़ने का जोखिम है। मार्च 2011 की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अब उच्चतर अर्थात् लगभग 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा

जहां वर्ष 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटे का बजट स्तर माँग पक्ष में कुछ सुविधाजनक स्थिति को दर्शाता है वहीं तेल की उच्चतर कीमतों के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक व्यय पर दबाव डाल सकते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सेवाओं के वितरण पर समझौता किये बिना सकल राशि को नियंत्रण में रखते हुए व्यय की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाए। केवल ऐसा करने से राजकोषीय स्थिति माँग पक्ष मुद्रस्फीति प्रबंध में योगदान कर सकती है।

चालू खाता

रिज़र्व बैंक ने तीसरी तिमाही की समीक्षा में चालू खाता घाटे (सीएडी) में बढ़ते अंतर और उसके वित्तपोषण के स्वरूप के बारे में चिंता व्यक्त की थी। हाल के ज़ोरदार निर्यात निष्पादन को देखते हुए वर्ष 2010-11 के लिए चालू खाता घाटा अब सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.5 प्रतिशत पर पूर्व अनुमान से कम आकलित किया गया है। जबकि इस वर्ष चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण सुगमता से किया गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) सहित दीर्घावधि घटकों पर अधिक ध्यान देते हुए पूँजी अंतर्वाहों की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि मध्यावधि में भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिरता को बढ़ाया जा सके।

ऋण परिस्थितियाँ

जबकि फरवरी में वर्ष-दर-वर्ष खाद्येतर ऋण वृद्धि 20 प्रतिशत के संकेतात्मक अनुमान से अधिक बनी रही, दिसंबर 2010 से ऋण विस्तार की गति सामान्य हुई। मौद्रिक अंतरण अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंकों ने अपनी उधार दरों को बढ़ाना जारी रखा है।

चलनिधि

चलनिधि समायोजन सुविधा के माध्यम से निवल चलनिधि डालना जनवरी के लगभग 93,000 करोड़ रुपये के औसत से कम होकर फरवरी 2011 में 79,000 करोड़ रुपये रह गया और मार्च में (16 मार्च तक) और आगे कम होकर 68,000 करोड़ रुपये हो गया। उक्त गिरावट मुख्य रूप से सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण हुई और उसके फलस्वरूप रिज़र्व बैंक के पास सरकारी नकदी शेषों में गिरावट आयी। इसके अतिरिक्त, समग्र चलनिधि परिस्थिति रिज़र्व बैंक (बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं के +/- 1 प्रतिशत) की सुगमता स्तर के नजदीक पहुँचने की संभावना है, हालांकि अग्रिम कर संग्रहण के कारण मार्च की दूसरी छमाही में कुछ अस्थायी दबाव आने की संभावना है।

सार-संक्षेप

संक्षिप्ततः अंतर्निहित मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़े हैं और यहां तक कि वृद्धि के प्रति जोखिम उभर रहे हैं। बढ़ते वैश्विक पण्य मूल्य, खासकर तेल का दोनों गतिविधियों में प्रमुख योगदान रहा है। चूँकि घरेलू ईंधन मूल्य अभी वैश्विक मूल्यों से अनुरूप नहीं हुए हैं, खाद्येतर विनिर्माण मुद्रास्फीति में दर्शाए गये माँग व्याप्त दबाव बना रहने से मुद्रास्फीति जोखिम स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 का केंद्रीय बजट यह दर्शाता है कि राजकोषीय पक्ष से माँग दबाव कुछ आसान होंगे। इससे निजी निवेश के लिए जगह बनेगी किंतु यह तभी संभव होगा यदि आर्थिक सहायता बनाए रखने की प्रतिबद्धता होगी। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के उपाय खासकर संरचनात्मक माँग-आपूर्ति संतुलनों का सामना करने वाली मदें आनेवाले समय में खाद्य मुद्रास्फीति को सुगम बनाने में सहायक होंगे।

अपेक्षित परिणाम

इस समीक्षा में नीति कार्रवाई से अपेक्षा है कि:

- वृद्धि की जोखिमों को कम करते हुए माँग-पक्षीय मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित रखेगी; और
- मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित रखेगी और खाद्य और पण्य मूल्यों को अधिक सामान्य मुद्रास्फीति में परिवर्तित होने से रोकेगी।

मार्गदर्शन

वर्तमान और उभरती वृद्धि तथा मुद्रास्फीति परिस्थितियों के आधार पर रिज़र्व बैंक वर्तमान मुद्रास्फीति विरोधी दृष्टिकोण जारी रख सकता है।

सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर पर दण्ड लगाया गया

17 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 47 ए के साथ पठित धारा 46 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर पर 'अपने ग्राहक को जानें' मानदण्डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

मेसर्स विनमोर लिजींग एण्ड होल्डींग्ज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

21 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स विनमोर लिजींग एण्ड होल्डींग्ज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : 706, मधुबन बिल्डींग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-

110019 है, को 4 मार्च 1998 को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र 7 जनवरी 2011 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी स्वेच्छा से इस कारोबार से हट गयी है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

दि उत्तरसंडा पिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तरसंडा, जिला खेडा पर दण्ड लगाया गया

23 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि उत्तरसंडा पिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तरसंडा, जिला खेडा, गुजरात पर काला धन आशोधन (एएमएल) दिशानिदेशों के अंतर्गत यथा अपेक्षित वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी) को 10.00 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन की रिपोर्ट की अपेक्षा के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा पर दण्ड लगाया गया

25 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि भाभर विभाग नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भाभर, जिला बनासकांठा, गुजरात पर 10.00 लाख रुपये से अधिक के नकदी लेन-देन का अभिलेख रखने तथा उसकी रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को भेजने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

वर्ष 2011-12 की पहली छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु समय-सारणी

25 मार्च 2011

सांस्थिक और खुदरा निवेशकों को एक सक्षम तरीके से अपने निवेश की योजना तैयार करने तथा उसी के साथ सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए एक सांकेतिक समय-सारणी जारी करने की प्रणाली जारी रखी जाए। तदनुसार 1 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2011 की अवधि की वर्ष 2011-2012 की पहली छमाही के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु एक सांकेतिक समय-सारणी भारत सरकार के परामर्श से जारी की जा रही है।

जैसाकि अब तक होता रहा है, इस समय-सारणी में समाहित सभी नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामियों की सुविधा रहेगी जिसके अंतर्गत अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। परिवर्तनीय दर बांड बाजार की स्थिति के अनुसार जारी किए जाएंगे।

विगत की भांति, केंद्र सरकार / रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार बना रहेगा कि वह सरकार की उभरती आवश्यकताओं को बाजार स्थितियों तथा अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए विधिवत सूचना देकर उक्त सारणी में दर्शायी गयी अधिसूचित राशि, निर्गम अवधि, परिपक्वता, आदि में आशोधन कर सके।

दि पटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पटडी, जिला सुरेन्द्रनगर पर दण्ड लगाया गया

28 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि पटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, पटडी, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात, पर कतिपय उल्लंघनों अर्थात, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदंडों/ कालाधन आशोधन (एएमएल) दिशानिदेशों का पालन नहीं करने, नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) विवरण वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को नहीं भेजे जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं के अधूरे समाधान के लिए 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, जिला अमरेली पर दण्ड लगाया गया

28 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बाबरा, जिला अमरेली, गुजरात, पर 10.00 लाख रुपये से अधिक के नकदी लेन-देन की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी),नई दिल्ली को किए जाने तथा निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती अग्रिमों की स्वीकृति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

श्री लिम्बडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लिम्बडी, जिला सुरेन्द्रनगर पर दण्ड लगाया गया

28 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री लिम्बडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, लिम्बडी, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात पर कतिपय उल्लंघनों अर्थात, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदंडों के कार्यान्वयन न किए जाने, नकदी लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर)/ संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर), विवरण वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्ली को प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं को जारी रखने के लिए 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

दि साथंबा पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, साथंबा, जिला साबरकंठा पर दण्ड लगाया गया

29 मार्च 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि साथंबा पिपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, साथंबा,

जिला साबरकंठा, गुजरात पर अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)/ काला धन आशोधन (एएमएल) मानदण्डों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं को जारी रखने के कारण 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने तथा इस मामले में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

राजकोषीय वर्ष 2011-12 के लिए राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की योजना

30 मार्च 2011

राजकोषीय वर्ष 2010-11 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की राज्य-वार सीमा की समीक्षा के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2011-12 के लिए इन सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तदनुसार, वर्ष 2011-12 के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी सहित राज्य सरकारों के लिए सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 10,240 करोड़ रुपये रखी गयी है।

इस योजना की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

बाज़ार स्थिरीकरण योजना: राजकोषीय वर्ष 2011-12 के लिए सीमा

31 मार्च 2011

बाज़ार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) पर समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसरण में राजकोषीय वर्ष 2011-12 के लिए बाज़ार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत बकाया शेष की सीमा 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है। इस सीमा की समीक्षा तब की जाएगी जब बकाया शेष 35,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीमा पर पहुँच जाएगा। वर्तमान बाज़ार स्थिरीकरण योजना का बकाया शेष 'कुछ नहीं' है।